बिहार सरकार,
<u>लघु जल संसाधन विभाग।</u>

पत्रांक– 722 (मो०)

पटना, दिनांक 15/5/2019

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल

विषय– **नलकूपों को विभागीय कर्मचारियों द्वारा Monitoring किये जाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

आप सब अवगत हैं कि विभाग ने अपने सभी 10240 राजकीय नलकूप पंचायतों को सौंप दिया है। सम्भवतः विभागीय अभियंताओं को यह भ्रम हो गया है कि अब नलकूपों से हमारा जिम्मा खत्म हो गया है। पंचायतों को नलकूप सौंपने के पश्चात हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है, बल्कि और बढ़ जाती है। हमारा काम अब Monitoring का है और यह सुनिश्चित करना है कि मुखियाओं के माध्यम से सभी 10,240 नलकूप Functional हो जाए। इस क्रम में विभागीय अभियंताओं को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी हैः–

(क) यह देखना है कि मुखिया ने मरम्मति का काम शुरू कर दिया है कि नहीं?

(ख यह देखना है कि नलकूप चालू हो गया है कि नहीं?

(ग) यदि नलकूप चालू हो गया है तो बिजली का बिल भी आयेगा। ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि बिजली का बिल मुखिया द्वारा समय से जमा किया गया है कि नहीं? अन्यथा विद्युत विभाग बिजली काट देगा।

(घ) मुखिया द्वारा पम्प चालक रखा गया है कि नहीं?

(ङ) यदि पटवन प्रारम्भ कर दिया गया है तो मुखिया द्वारा पम्प चालक को नियमित रूप से कुल मानदेय मुखिया द्वारा दिया जा रहा है या नहीं? पटवन का दर निर्धारित किया गया है या नहीं?

(च) दर निर्धारित करने के पश्चात निर्धारित दर से पटवन की वसूली मुखिया द्वारा की जा रही है कि नहीं? यदि वसूली नहीं की जायगी तो स्पष्ट है कि मुखिया द्वारा बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया जायगा तो कुछ ही महीनों में नलकूप फिर से बंद हो जायगा।

(छ) यदि Tubewell Non-functional है तब भी यह देखना आवश्यक है कि उसका मोटर/ट्रान्सफॉर्मर तथा अन्य Assets इत्यादि सही सलामत है। Assets चोरी नहीं होना चाहिए और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए।

अतः उपर्युक्त सभी समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक है कि आप हर नलकूप को अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारियों को जिम्मा सौंपें कि वह देखें कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर काम हो रहा है कि नहीं। मेरे विचार से आप अपने जिले में मौजूद नलकूपों को उपलब्ध कर्मियों के बीच आवंटित कर दें। सहायक अभियंता से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में नलकूपों को आवंटित किया जाय। आवंटित किये गये नलकूपों के प्रभारी संबंधित नलकूपों से जुड़े हुए मुखिया अथवा अन्य ग्रामीणों से **प्रतिदिन बात करेंगे** और **आपको स्थिति की जानकारी प्रतिदिन देंगे** और यह बताएंगे कि नलकूप Functional या Non Functional है अथवा ऊपर दिये हुए बिन्दुओं पर क्या प्रगति हुई। इस पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया को Monitor किया जाना होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जिले में सभी नलकूपों के अपने पास उपलब्ध कर्मियों को आवंटित करते हुए उसकी सूची अधोहस्ताक्षरी को दें तथा अपने अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को भी उसे उपलब्ध करावें।

विश्वासभाजन

(के0के0 पाठक)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 722 (मो०) पटना, दिनांक 15/5/2019

प्रतिलिपिः– सभी अधीक्षण अभियंता / सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 722 (मो०) पटना, दिनांक 15/5/2019

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव / अधीक्षण अभियंता(मो०), लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 722 (मो०) पटना, दिनांक 15/5/2019

प्रतिलिपि– सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।